



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941

No. 3312]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3634(अ)—यतः, मै. ओ एस ई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ने उत्तर प्रदेश राज्य में भूखण्ड सं. सी-001, सेक्टर-67, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 754(अ) दिनांक 14 मई, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.11753 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. ओ एस ई लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.11753 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके पत्र सं. 1083/77-3-19-28एसईजेड/06 दिनांक 11 जुलाई, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, नोएडा, एस ई जेड ने विशेष आर्थिक जोन के 10.11753 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/243/2006-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2019

S.O. 3634(E).—WHEREAS, M/s. OSE Infrastructure Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Plot No. C-001, Sector-67, Noida, Gautam Budh Nagar District in the State of Uttar Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.11753 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 754(E) dated 14th May, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. OSE Infrastructure Limited has now proposed to de-notify entire area of 10.11753 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Uttar Pradesh has given its “No Objection” to the proposal vide letter No.1083/77-3-19-28SEZ/06 dated 11th July, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida, Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.11753 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/243/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.